

पावर <mark>फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड</mark> POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत संस्कार का संप्रक्रम) (आई एस औं 45001 2018 प्रमाणित) (A Gavt. of India Undertaking) (ISO 45001: 2018 Certified)

No:1:05:138:1:CS/ सं : :1:05:138:1:सीएस

Dated/ दिनांक: 04.01.2024

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)

MUMBAI - 400 051

बीएसई लिमिटेड. कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग. मंजिल-25. पी .जे .टावर्स. दलाल स्ट्रीट. मुंबई-40000।

BSE Limited,

Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street,

MUMBAI - 400 001

विषय: दिनांक 4 जनवरी, 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक के परिणाम

Sub: Outcome of Board Meeting held on January 4, 2024

Board of Directors, in the said meeting.

महोदय/ महोदया Madam/Sir.

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के प्रावधानों के अनुपालन में, सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने दिनांक 04 जनवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को मंजूरी दी: In compliance with the provisions of Regulation 30 read with Schedule III of SEBI (LODR) Regulations 2015, this is to inform that the Board of Directors of Power Finance Corporation Limited in its meeting held on January 4, 2024, inter-alia approved the following:

- 1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राइवेट/ पब्लिक प्लेसमेंट आधार पर बॉण्ड/ डिबेंचर, सावधि ऋण, बाह्य वाणिज्यिक ऋण, वाणिज्यिक-पत्र आदि सहित विभिन्न ऋण लिखतों में आदान-प्रदान के साथ विभिन्न ऋण खंडों के अंतर्गत कंपनी के बाजार ऋण कार्यक्रम में 80,000/- करोड़ रुपये से 1,05,000/- करोड़ रुपये का संशोधन। उक्त संशोधित बाजार ऋण कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से धनराशि जुटाई जाएगी। Revision in Market Borrowing Programme of the Company under different debt segments with interchangeability amongst various instruments including Bonds/ Debentures, Term Loans, External Commercial Borrowings, Commercial Papers etc. on private/ public placement basis from Rs.80,000 crore to Rs.1,05,000/- crore for FY 2023-24. The funds under the said revised market borrowing programme will be raised, from time to time, during the financial year 2023-24, with the approval of Competent Authority as per powers delegated in this regard by the
- 2. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के कार्यकाल का विस्तार: एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति के संबंध में भारतीय

CIN: L65910DL1986GOI024862

रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, श्री संजय शर्मा, वर्तमान में कार्यपालक निदेशक (पीएफसी) का कार्यकाल 29.12.2023 से 28.12.2024 तक पीएफसी के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में बढ़ाया गया है। उनके पास एल.एल.बी. और आईसीडब्ल्यूए की योग्यता है।

Extension of tenure of Chief Risk Officer (CRO):

Pursuant to RBI guidelines w.r.t. Appointment of Chief Risk Officer (CRO) for NBFCs, the tenure of Sh. Sanjay Sharma, presently Executive Director (PFC) has been extended as Chief Risk Officer (CRO), PFC w.e.f. 29.12.2023 to 28.12.2024. He is L.L.B. & ICWA by qualification.

निदेशक मंडल की बैठक दोपहर 3.30 बजे आरंभ हुई और दोपहर/सायंरें.५5.... बजे समाप्त हुई। The meeting of the Board of Directors commenced at 3.30 PM and concluded atरें.५5. PM.

आपकी जानकारी और रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत। This is submitted for your information and record.

धन्यवाद /Thanking you,

भवदीय/Yours faithfully,

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/For Power Finance Corporation Ltd.

(मनीष कुमार अग्रवाल) / (Manish Kumar Agarwal)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी / Company Secretary & Compliance Officer mk_agarwal@pfcindia.com